राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	465/2019 रामनारायण / सूरजमल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/12/19	अभिभाषक [illegible] कार उपस्थित। [illegible] कन्डोनेस [illegible] R.A.A. [illegible] जयपुर [illegible] पर होने/[illegible] होने/राजकीय [illegible] [illegible] पूर्व आदेशानुसार विचार 20/12/19 को पेश हो।	
20.12.19	अपी. अधि[illegible], रेस्पो. उपस्थित. [illegible] आदेश [illegible] होकर मिसल [illegible] 13.2.20 को पेश हो।	
13/02/20	अभिभाषक पक्षकार उपस्थित। [illegible] बैंस हो जाने। R.A.A. [illegible] अवकाश पर होने/[illegible] में होने/राजकीय [illegible] [illegible] मिसल [illegible] 05/03/20 को पेश हो।	
05/3/20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. उभयपक्ष उपस्थित। अधि. रेस्पो. ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है, जिसकी सुनवाई उपरान्त न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18/9/19 के द्वारा की गई है जबकि प्रकरण का अन्तिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना अभी शेष है। अतः धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के गुणावगुण पर निस्तारण के लिये अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम आदेश की दिनांकित स्थगित रखते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया जावे एवम् उभयपक्षों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये जावे। जिस पर अधि. अपीलान्ट ने अपनी सहमति जाहिर की। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई परिशण किये बगैर मात्र उभयपक्षों की सहमति के आधार पर आदेश पेश अपील दिनांक 29/8/2019 की दिनांकित स्थगित रखी जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष विचाराधीन धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम पर उभयपक्षों की सुनवाई कर 30 दिवस की अवधि में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष दिनांक 27/3/20 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवें। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner